सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 141 राँची, गुरूवार, 31 मार्च, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

अधिसूचना

संख्याः-01/नीति-05-02/2022-648/ झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम- II, 1915) की धारा 89 की उपधारा (1) एवं उप-धारा (3), धारा- 90 तथा धारा- 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार इस संबंध में निर्गत पूर्व के नियमों/अनुदेशों/उपबंधों तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा अधिसूचित ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" को अधिक्रांत एवं पूर्व प्रकाशित शर्त्तों को शिथिल कर निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरम्भ**-

   (i) यह नियमावली **''झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022''** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं -**

(i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित);

(ii) **''राजस्व पर्षद्''** से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड;

(iii) **''विभाग''** से अभिप्रेत है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड;

(iv) **''बोर्ड''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर;

(v) **''निगम''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL);

(vi) **''आयुक्त उत्पाद''** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड;

(vii) **''प्रबंध निदेशक''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक;

(viii) **''अनुज्ञप्ति प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है, जिला के उपायुक्त/समाहर्त्ता।

(ix) **''प्लेसमेंट एजेन्सी''** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के निमित्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाला प्रतिष्ठान/कम्पनी;

(x) **''दुकान प्रभारी/दुकान सहायक''** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की बिक्री हेतु प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नियुक्त कर्मी;

(xi) **''दुकान पर्यवेक्षक''** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु JSBCL मुख्यालय के निदेशानुसार दुकानों के नियमित पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी;

(xii) **''सुरक्षा एजेन्सी''** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों/JSBCL एवं विभाग के अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाला प्रतिष्ठान/कम्पनी;

(xiii) **''मदिरा''** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 2 (14) में यथा परिभाषित पेय/शराब;

(xiv) **''विदेशी शराब''** से अभिप्रेत है, विभागीय अधिसूचना संख्या-470 एफ0 दिनांक-15 जनवरी, 1919 मे यथा परिभाषित;

(xv) **''अनुज्ञप्ति शुल्क''** से अभिप्रेत है, प्रत्येक प्रकार की खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित अनुज्ञाशुल्क;

(xvi) **''उत्पाद वर्ष''** से अभिप्रेत है, 1ली अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष अथवा सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष;

(xvii) **''खुदरा बिक्री मूल्य''** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली मदिरा का विक्रय मूल्य;

(xviii) **''थोक बिक्री मूल्य''** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित प्रवृत्त नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किये गये मदिरा का अधिकतम थोक बिक्री मूल्य;

(xix) **''थोक विक्रेता''** से अभिप्रेत है, वैसे संस्थान, जिन्हें मदिरा के थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(xx) **''संचयकर्त्ता''** से अभिप्रेत है, वैसे व्यक्ति/कम्पनी/फर्म, जिन्हें उत्पाद प्रपत्र 1C के तहत मदिरा के संचयन हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की गई हो;

(xxi) **''विहित प्रपत्र''** से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद्, की सहमति से विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र;

(xxii) **''उत्पाद कर (Excise Duty)''** से अभिप्रेत है, विभिन्न प्रकार की मदिरा पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किया जाने वाला कर;

(xxiii) **''उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)''** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक बिक्री केन्द्र से खुदरा अनुज्ञप्ति परिसर में, मदिरा के परिवहन की अनुमति हेतु, अग्रिम रूप में अधिरोपित किया जाना वाला उत्पाद कर।

(xxiv) **''न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Minimum Guaranteed Revenue)''** से अभिप्रेत है, मदिरा पर अधिरोपित उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर का योग।

(xxv) **''एक्स डिस्टलरी प्राइस (Ex-distillery Price)/एक्स ब्रीवरी प्राइस (Ex-brewery Price)/एक्स वाईनरी प्राइस (Ex-winery Price)''** से अभिप्रेत है, मदिरा के थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनी की सहमति से समर्पित मूल्य, जिसमें विनिर्माण लागत, पैकेजिंग लागत, समय-समय पर लागू विभिन्न प्रकार के कर/शुल्क (मूल्य वर्धित कर को छोड़कर), लाभांश तथा परिवहन व्यय इत्यादि सम्मिलित हो;

(xxvi) **''अतिरिक्त उत्पाद कर''** से अभिप्रेत है, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा, विदेशी शराब/बीयर इत्यादि के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य को निम्नवत पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अंतर की धनराशि से है, जो JSBCL के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों से मदिरा की बिक्री के उपरांत जमा की जायेगी-

क) 01 से 90 रूपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 5 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

ख) 91 से 950 रूपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 10 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

ग) 951 से 1950 रूपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 50 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

घ) 1951 से अधिक मूल्य की MRP वाली मदिरा - अगले 100 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

(xxvii) **''ऑफ दुकान''** से अभिप्रेत है, जहाँ शराब का उपभोग अनुज्ञप्ति परिसर में अनुमत न हो।

(xxviii) **''ऑन दुकान''** से अभिप्रेत है, जहाँ शराब का उपभोग अनुज्ञप्ति परिसर में अनुमत हो एवं यह प्रसाधन एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से युक्त हो।

(xxix) **''मॉडल शॉप दुकान''**, से अभिप्रेत है, मॉल/मार्केटिंग कम्प्लेक्स में JSBCL द्वारा संचालित प्रीमियम ब्राण्ड की विदेशी मदिरा की दुकानें;

(xxx) **''पॉपुलर ब्रांड''** से अभिप्रेत है, मदिरा [भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)] के वैसे ब्राण्ड, जिनका संपूर्ण झारखंड राज्य में बाजार हिस्सेदारी (Market Share) अपने कटेगरी में 10% से अधिक हो। समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा पॉपुलर ब्रांड की सूची बिक्री के अनुसार जारी की जायेगी। अनुज्ञाधारी मदिरा के सभी पॉपुलर ब्राण्ड को दुकान में अवश्य रखेंगे।

नोटः- इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जो झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई अन्य प्रवृत्त नियमावली में है।

3. **नियमावली का लागू होना**- यह नियमावली देशी शराब दुकान, विदेशी शराब दुकान तथा शराब की कम्पोजिट दुकानों में शराब की खुदरा बिक्री की ''अनन्य विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति'' झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान करने के लिए लागू होगी।

4. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाये जानेवाले खुदरा उत्पाद दुकान का प्रकार**- सामान्यतः झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निम्न प्रकार की मदिरा के दुकानों का संचालन किया जाएगा:-

(i) **देशी मदिरा की ऑफ दुकान**- इन दुकानों में विभिन्न प्रकार के देशी शराब की बिक्री की जाएगी।

(ii) **विदेशी शराब की ऑफ दुकान**- इन दुकानों में व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वाईन आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, ब्रीजर, झारखण्ड मिडियम लिकर इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कोई शराब जिसे अधिसूचना संख्या-470 एफ0 दिनांक- 15 जनवरी, 1919 के तहत विदेशी शराब घोषित किया गया हो, की बिक्री की जाएगी।

(iii) **कम्पोजिट दुकान**- कम्पोजिट दुकान ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार शहरी क्षेत्रों में भी खोली जा सकेगी। इन दुकानों से देशी शराब/विदेशी शराब/आयातित विदेशी शराब इत्यादि की बिक्री की जाएगी।

(iv) देशी शराब दुकान/विदेशी शराब दुकान/शराब की कम्पोजिट दुकान में मदिरा की ऑन बिक्री की अनुमति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुरोध पर उपायुक्त दे सकेंगे। ऑन दुकानों के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 में स्थल से संबंधित वर्णित शर्त्तों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(v) **JSBCL द्वारा संचालित मॉडल खुदरा उत्पाद दुकानें** -

JSBCL के द्वारा मॉल/ Marketing Complex में राँची जिला में 2, धनबाद जिला में 1 एवं जमशेदपुर जिला में 1 विदेशी शराब की ऑफ दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जायेगी, जिसे आयुक्त उत्पाद की अनुमति के उपरांत ऑन दुकान में भी परिवर्तित किया जा सकेगा।

नोट:- आयातित विदेशी मदिरा की बिक्री के लिये झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अलग से 50,000/- रू0 वार्षिक विशेषाधिकार शुल्क नहीं देना होगा, जैसा कि ''विदेशों में निर्मित बोतलबंद तथा भारत में आयातित विदेशी मदिरा (Bottled-in-origin) के झारखण्ड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012'' में प्रावधानित है।

5. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरशन लिमिटेड की दुकानों की संख्या का निर्धारण** :-

(i) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम में वर्णित शर्त्तों के अनुसार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा की दुकानों की संख्या तथा उनकी अवस्थिति का निर्धारण प्रत्येक जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला के उपायुक्त से सहमति प्राप्त कर की जायेगी। जिला के उपायुक्त द्वारा निर्धारित संख्या में आवश्यकतानुसार आयुक्त उत्पाद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ii) जिला के उपायुक्त यदि आवश्यक समझें, तो उत्पाद अनुज्ञप्ति अवधि के मध्य में भी वे खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या को कम या अधिक करने का प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद को भेज सकते हैं। जिला के उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद के विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा। जिला के उपायुक्त को विभाग की सहमति एवं असहमति संसूचित की जायेगी। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा।

6. **खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना** :-

(i) जिला के उपायुक्त के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या के निर्धारण के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 में वर्णित सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुये आयुक्त उत्पाद के पास भेजा जाएगा। आयुक्त उत्पाद के द्वारा बन्दोबस्ती प्रस्ताव पर सहमति

देने के पश्चात जिला के उपायुक्त के द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को दुकानवार अनुज्ञप्ति देने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(ii) बन्दोबस्ती प्रस्ताव के अनुसार आयुक्त उत्पाद से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सभी प्रकार की मदिरा की खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

(iii) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जिला के उपायुक्त सभी प्रकार की मदिरा की खुदरा दुकानों के लिए एक उत्पाद वर्ष अथवा उत्पाद वर्ष के मध्य में बन्दोबस्ती होने पर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक के लिए इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट के अनुसार विहित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे।

(iv) अनुज्ञप्ति अवधि में खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति किसी कारण से गुम हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति के लिए जिला उत्पाद कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्थानीय थाना में दर्ज प्राथमिकी की प्रति भी लगानी होगी। उपायुक्त के द्वारा जाँचोपरान्त डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को दिया जाएगा।

(v) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-

(क) विदेशी मदिरा की ऑफ दुकान तथा ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क -

क्र॰ सं॰	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 100000/- (एक लाख)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 75000/- (पचहत्तर हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 50000/- (पचास हजार)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार)

(ख) देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क -

क्र॰ सं॰	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)

1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 50000/- (पचास हजार)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 40000/- (चालीस हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 15000/- (पन्द्रह हजार)

(iv) दुकानों की अनुज्ञप्ति संख्या युनिक (Unique) होगी। इसे निम्नवत लिखा जायेगा:-

जिला का नाम (अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम तीन अक्षर)/अनुज्ञप्ति का प्रकार (संक्षिप्त कोड में)/ अनुज्ञप्ति संख्या/वित्तीय वर्ष। उदाहरणस्वरूप - राँची जिला की विदेशी शराब दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या निम्नवत लिखी जायेगी - RNC_FL_001/2022-23.

7 **JSBCL द्वारा संचालित मॉडल शॉप**- इसका अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगा। इन दुकानों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), लागर बीयर एवं वाईन इत्यादि की बिक्री की जायेगी। परिसर में प्रीमियम ब्राण्ड की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) जिसका अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य 1500 रूपये से अधिक हो तथा आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) सभी पैक साईज में, के अतिरिक्त केवल लागर बीयर, जिसका MRP रू0 150/- (एक सौ पचास रूपये) से कम न हो, एवं वाईन इत्यादि सभी पैक साईज में बिक्री की जायेगी।

इन दुकानों हेतु JSBCL द्वारा मदिरा झारखंड राज्य में कार्यरत थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों से प्राप्त की जायेगी। JSBCL झारखंड राज्य में अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन इत्यादि की अन्य आपूर्त्तिकर्त्ताओं, जिन्हें राज्य में वितरकता अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, से भी द्विपक्षीय करार के तहत आयुक्त उत्पाद की अनुमति से मदिरा प्राप्त कर इन दुकानों से बिक्री कर सकेंगे। इस प्रकार के द्विपक्षीय करार के तहत प्राप्त किये जाने वाले मदिरा के ब्राण्डों का लेबल निबंधन इत्यादि से संबंधित बाध्यता के प्रावधान में छूट आयुक्त उत्पाद के स्तर से प्रदान की जा सकेगी। JSBCL द्वारा संचालित मॉडल शॉप से मदिरा के बिक्री के उपरान्त ही देय राशि का भुगतान थोक विक्रेताओं/ आपूर्त्तिकर्त्ताओं को पाक्षिक अवधि में किया जायेगा। मॉडल शॉप से मदिरा की बिक्री के माध्यम से प्राप्त उत्पाद कर एवं अतिरिक्त उत्पाद कर राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

मॉल/ Marketing Complex में JSBCL द्वारा संचालित मॉडल खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु मॉल/दुकान मालिक को किराया का भुगतान JSBCL द्वारा किया जायेगा। JSBCL आपूर्त्तिकर्त्ताओं से उनके ब्राण्डों के डिस्प्ले हेतु उपयोग किये जा रहे क्षेत्रफल के अनुसार किराया प्राप्त कर सकता है।

8. **खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति की कालावधि**:- यह कालावधि एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए होगी जिसके लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया है। अनुज्ञप्ति का नवीकरण ऐसे शर्त्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

9. **अनुज्ञप्ति के नवीकरण की प्रक्रिया**:- प्रत्येक आगामी उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित किया जाएगा। आवेदन निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाशुल्क के साथ जमा किया जाएगा। अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा।

10. **खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति**:-

(i) खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति से संबंधित झारखण्ड उत्पाद अधिनियम में वर्णित नियम के अतिरिक्त समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय, सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 - ''State of Tamilnadu Vrs. K. Balu & ANR'' को दृष्टिपथ रखते हुये जिला के उपायुक्त के द्वारा दुकानों का स्थल निर्धारित किया जाएगा। झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों से संबंधित स्थल का आवेदन समर्पित करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल का अनुमोदन करेंगे। आपत्ति रहित स्थल प्राप्त करने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी।

(ii) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल स्थानान्तरण की अनुमति जिला के उपायुक्त के द्वारा इस शर्त्त पर दी जा सकेगी कि खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित स्थल झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 में वर्णित नियमों तथा एतद् संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुकूल हो।

11. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों पर लगने वाले डिस्पले बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया**:- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जानेवाली प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के उपर 3 x 8 फीट का एक डिस्पले बोर्ड लगाया जाएगा। बोर्ड पर दुकान का प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या, विक्रेता का नाम तथा निचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में ''मदिरा

पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक'' है लिखा जाएगा, साथ ही प्रत्येक खदुरा उत्पाद दुकान पर राज्य में स्वीकृत सभी प्रकार के मदिरा के सभी लेबलों का धारितावार विवरण अद्यतन खुदरा बिक्री मूल्य सहित एक सूचना पट्ट पर उद्धृत करना अनिवार्य होगा एवं MRP दर से अधिक राशि का भूगतान न करें, भी प्रदर्शित कराना होगा।

12. **खुदरा उत्पाद दुकानों के कार्य करने की अवधि**:-खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

13. **खुदरा उत्पाद दुकानों से कुछ व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित किया जाना**:- वैसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष से कम प्रतीत होती है, उसे मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा का क्रय करनेवाला व्यक्ति पूर्व से ही अधिक मदिरा का पान किया हुआ है तो उसे भी मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी।

14. **खुदरा उत्पाद दुकानों को बन्द करना (शुष्क दिवस)**:-

(i) खुदरा उत्पाद दुकानें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझें, तो आत्मभारित आदेश पारित कर खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदी किसी क्षेत्र विशेष अथवा संपूर्ण जिले में करा सकेंगे।

(ii) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद नहीं कराया जायेगा।

(iii) अपरिहार्य कारणों से शराब की आपूर्त्ति में विलंब, किसी अन्य विधि व्यवस्था अथवा दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक आंदोलनों आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार क्षतिपूर्त्ति सरकार द्वारा देय नहीं होगी।

15. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण**:- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा आयुक्त उत्पाद के द्वारा संयुक्त रूप से विगत वर्षो के बिक्री के आँकड़ों एवं वर्त्तमान समय के बिक्री ट्रेंड का आकलन करते हुये बिक्री की राशि से संबंधित लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा, ताकि बिक्री राशि में समाहित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति कुप्रभावित नहीं हो। संबंधित दुकानों के लिए निर्धारित बिक्री लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त होने वाले मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी रहने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेन्सी की जिम्मेवारी तय की जायेगी। उक्त राजस्व क्षति की वसूली प्लेसमेंट एजेन्सी के द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी से क्षतिपूर्त्ति के लिए राज्यसात किया जायेगा। इस संदर्भ में नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई JSBCL द्वारा किया जायेगा।

16. **मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया**:-

(i) किसी भी प्रकार की मदिरा के लिये रसायन विश्लेषक से यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं है तो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिये आवेदन किया जाएगा। इस प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद आदेश करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि एवं झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा मदिरा के थोक बिक्रेता के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनिष्टीकरण करेंगे। एतद् संबंधी नोटिस दिये जाने के बावजूद यदि मदिरा के थोक विक्रेता कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते है, तो उनकी अनुपस्थिति में भी मदिरा का विनष्टीकरण किया जाएगा। विनष्टीकरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की खुदरा उत्पाद दुकानें अपने स्कंध पंजी से ऐसे स्कंध को घटा देंगे। उक्त नष्ट की गई मदिरा के कर की वसूली संबंधित थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी से खुदरा बिक्री मूल्य की दर पर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

(ii) Non-saleable/अनिबंधित/अनवीकृत लेबलों के बोतलों की वापसी/विनष्टीकरण आयुक्त उत्पाद के निदेशानुसार की जा सकेगी।

17. **मदिरा का थोक बिक्री मूल्य एवं खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया**:- राज्य सरकार/सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूला एवं झारखंड उत्पाद (लेबल, निबंधन एवं मद्य दर निर्धारण) नियमावली, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत आयुक्त उत्पाद के द्वारा मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

18. **विभिन्न प्रकार की मदिरा पर अधिरोपित किया जाने वाला राजस्व**:-

(i) **भारत निर्मित विदेशी शराब**:-

क्र॰	मदिरा का प्रकार	***EDP प्रति केस*** **(Duty Slab)** (रू0 में)	उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर @ 5% एवं उत्पाद परिवहन कर @ 95% का योग)
1	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन/**LAB**/वाईन इत्यादि)	0-700	रू0 270/ प्रूफ लीटर
2	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन/**LAB**/वाईन इत्यादि)	701 से 1000 तक	रू0 710/ प्रूफ लीटर
3	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन/**LAB**/वाईन इत्यादि)	1001 से 1550 तक	रू0 760/ प्रूफ लीटर
4	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन/**LAB**/वाईन इत्यादि)	1550 से अधिक एवं 3000 तक	रू0 850/ प्रूफ लीटर

5	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन/**LAB**/वाईन इत्यादि)	3000 से अधिक एवं 5000 तक	रू0 880/ प्रूफ लीटर
6	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी शराब (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, जिन/**LAB**/वाईन इत्यादि)	5000 से अधिक	रू0 1100/ प्रूफ लीटर

नोट- LAB = Low Strength Alcohlic Beverages

(ii) बीयर के लिए उत्पाद कर बल्क लीटर के आधार से निम्ननुसार प्रस्तावित है:-

क्र॰ सं॰	मदिरा का प्रकार	उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर@5% एवं उत्पाद परिवहन कर@95% का योग)
1	शून्य से 5%v/v तक शक्ति की बीयर	रू0 56/ बल्क लीटर
2	5%v/v से अधिक एवं 8%v/v तक की शक्ति की बीयर	रू0 115/ बल्क लीटर
3	8%v/v से अधिक शक्ति की बीयर	रू0 125/ बल्क लीटर

(iii) देशी शराब/मसालेदार/Flavoured देशी शराब के ऊपर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर की संरचना -

क्र॰ सं॰	मदिरा का प्रकार	उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर@ 5% एवं उत्पाद परिवहन कर@ 95% का योग)
1	देशी शराब	रू0 163.00 प्रति प्रूफ लीटर

(iv) आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) हेतु भारत निर्मित विदेशी शराब पर अधिरोपित की जानी वाली उत्पाद कर (उपकंडिका-I) का आधा उत्पाद कर अधिरोपित किया जायेगा।

(v) ‘‘उत्पाद राजस्व’’ को ‘‘उत्पाद कर’’ एवं ‘‘उत्पाद परिवहन कर’’ के रूप में विभक्त करते हुए, ‘‘उत्पाद कर’’ को 5% एवं ‘‘उत्पाद परिवहन कर’’ को 95% के अनुपात में उद्ग्रहित किया जायेगा, जिसके अनुसार ‘‘उत्पाद कर’’ का भुगतान मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा तथा ‘‘उत्पाद परिवहन कर’’ का भुगतान खुदरा अनुज्ञाधारी के द्वारा किया जायेगा।

19. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के स्कंध का संधारण एवं प्रबंधन**:-

(i) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, खुदरा उत्पाद दुकानों में स्थानीय ग्राहकों की माँग के अनुरूप मदिरा के विभिन्न प्रकार के ब्राण्डों एवं पॉपुलर ब्राण्डों का संधारण करेगा ताकि सभी वर्ग के ग्राहकों की माँग पूरी की जा सके एवं राजस्व की क्षति न हो।

(ii) खुदरा उत्पाद दुकानों में हो रहे बिक्री के अनुसार विभिन्न प्रकार की मदिरा के ब्राण्डों का भण्डारण एवं स्कंध का प्रबंधन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकान में मौजूद स्कंध का संधारण किया जाएगा। Track & Trace System तथा ECMS व्यवस्था लागू होने के उपरांत भी इन्हीं प्रपत्रों में स्कन्ध का संधारन ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किया जायेगा।

(iv) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड दुकानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निगम झारखण्ड उत्पाद अधिनियम से संगत स्वयं की प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड की सहमति से कर सकेगा।

(v) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के तहत वर्णित प्रावधानों, नियमों, उप-नियमों तथा आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर निर्गत सभी आदेशों का पालन करना होगा।

(vi) जिलान्तर्गत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक दुकान से दूसरे दुकान में मदिरा का स्थानान्तरण का आदेश सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा दुकान प्रभारी के अभ्यावेदन पर जाँचोपरान्त राजस्व हित में आवश्यक होने पर किया जा सकेगा। जिला से बाहर मदिरा का स्थानांतरण प्रबंध निदेशक, JSBCL से NOC प्राप्त करने के उपरांत आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

20. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा दुकानों में मौजूद एवं बिक्री की गई स्कंध का अंकेक्षणः**- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रत्येक दुकान का प्रत्येक माह के स्कंध का अंकेक्षण, अंकेक्षक के द्वारा किया जाना आवश्यक है। इन अंकेक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बोर्ड की सहमति के उपरान्त की जाएगी। निगम अंकेक्षक द्वारा किये गये खुदरा उत्पाद दुकानों के अंकेक्षण से संबंधित रिपोर्ट संबंधित जिला उत्पाद पदाधिकारी, उत्पाद मुख्यालय/JSBCL मुख्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

21. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण**:- उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून सभी उत्पाद पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगे। संबंधित उत्पाद पदाधिकारी खुदरा उत्पाद दुकानों में पाई गई अनियमतता से संबंधित प्रतिवेदन अपने सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के माध्यम से शीघ्र निगम/विभाग के मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

22. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति हेतु पारक निर्गत करने की प्रक्रिया**:-

(i) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति हेतु खुदरा उत्पाद दुकान पर्यवेक्षक अथवा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा जिला उत्पाद कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जाएगा। आवेदन के आधार पर सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा वांछित उत्पाद कर के भुगतान के उपरांत पारक निर्गत किया जाएगा। निर्गत पारक के आधार पर मदिरा का परिवहन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयकर्त्ता गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों में इस कार्य हेतु JSBCL द्वारा चिन्हित परिवहन एजेन्सी के माध्यम से की जाएगी।

(ii) जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों को मदिरा का विक्रय करने हेतु प्रत्येक जिला में सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानें चिन्हित की जायेंगी। केवल चिन्हित दुकानों से ही मदिरा की आपूर्त्ति जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों को पारक के आधार पर की जायेंगी। होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मदिरा की आपूर्त्ति हेतु जिला उत्पाद कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पर उपकंडिका- (i) के प्रावधानानुसार पारक निर्गत किया जायेगा।

23. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभांश**:-

(i) इस व्यवस्था के तहत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभांश झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के आकलन के आधार पर संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में Landing Price, प्रबंधन शुल्क एवं उत्पाद कर के योग का अधिकतम 10% तक रह सकेगा। वर्त्तमान में यह लाभांश JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में Landing मूल्य पर अधिरोपित होने वाले प्रबंधन शुल्क व उत्पाद कर के योग का 10% निर्धारित किया जाता है।

(ii) लाभांश के रूप में प्राप्त राशि में से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड थोक एवं खुदरा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करेगा तथा अपने स्थापना व्यय, IT आधारभूत संरचना व्यय एवं विविध कार्यों हेतु उपयोग करेगा। झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने लाभांश में से कुछ राशि विभागीय आधारभूत संरचना यथा चेकपोस्ट, वाहन क्रय, कार्यालय निर्माण, Digital Lock, GPS, IT आधारभूत संरचना, मुख्यालय नियंत्रण कक्ष इत्यादि को मजबूत करने में खर्च कर सकता है।

(iii) लाभांश से प्राप्त राजस्व के 0.1% राशि का उपयोग अवैध मदिरा के कारोबार के विरूद्ध आसूचना संग्रहण के खर्च एवं अवैध मदिरा के व्यापार के उद्भेदन से जुड़े हुये आसूचक को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किया जायेगा। इस नियम के तहत राशि की मांग जिला उत्पाद पदाधिकारी (सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद) के द्वारा आयुक्त उत्पाद से की जायेगी। इस मांग की पूर्त्ति के लिए प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि को आयुक्त उत्पाद एवं JSBCL के प्रबंध निदेशक संयुक्त बैठक करेंगे। बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार आसूचना संग्रहण एवं

प्रोत्साहन राशि की मांग पर निर्णय लेते हुये जिला उत्पाद पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। आवयश्कतानुसार लाभांश के उक्त प्रोत्साहन राशि में प्रबंध निदेशक एवं आयुक्त उत्पाद के परस्पर विमर्शोपरांत परिवर्त्तन किया जा सकेगा।

24. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु कर्मियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण**:-

(i) (क) भारत का नागरिक हो।

(ख) 21 वर्ष से अधिक आयु का हो।

(ग) उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो।

(घ) उसका कोई उत्पाद बकाया/शासकीय राशि की देयता न हो।

(ड़) किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित न हो।

(ii) खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के लिए आवश्यकतानुसार प्लेसमेंट एजेन्सी, परिवहन एजेन्सी, Cash Collection Agency एवं सुरक्षा एजेन्सी का चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मियों का चयन नियम 25 में प्रावधानित जिला स्तरीय समिति/उप समिति के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर बहाल किया जायगा। झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 10 से 15 दुकानों के समूह के लिए एक दुकान पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। दुकान पर्यवेक्षक के अन्तर्गत क्रियाशील दुकानों के समूह में कार्यरत दुकान प्रभारी, दुकान सहायक तथा सुरक्षा गार्ड अपने कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन दुकान पर्यवेक्षक को समर्पित करेंगे तथा उसके नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे। दुकान पर्यवेक्षक, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं सुरक्षा गार्ड का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद वैसे कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुशंसा भेजेंगे। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अवश्य संज्ञान लेगा तथा प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

दुकान पर्यवेक्षक, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं सुरक्षा गार्ड की सेवा से संबंधित सेवा शर्त्तों का निर्धारण एवं व्यवस्था झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आवश्यकतानुसार समय-समय पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यो के सुगमतापूर्वक निष्पादन करने के लिए बोर्ड के निर्णय के आधार पर एवं झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुरोध पर आयुक्त उत्पाद की सहमति से उत्पाद पदाधिकारियों की सेवा भी ली जा सकेगी।

25. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए दुकानों के व्यवस्थापन (यथा दुकानों को किराये पर लेना, प्लेसमेंट एजेन्सी से कर्मचारी लेना, दुकानों के संचालन के लिए वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा इत्यादि) के लिए निम्नवत जिला स्तरीय समिति/उप समिति गठित की जाती है**-

(i) दुकानों के संचालन के लिए वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी रोक-थाम के लिए जिला स्तरीय समिति निम्नवत होगी -

(a)	जिला के उपायुक्त	-	अध्यक्ष।
(b)	जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य।
(c)	जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी	-	सदस्य।
(d)	सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	-	सदस्य, सचिव

(ii) दुकानों को किराये पर लिये जाने के लिए समिति निम्नवत गठित की जायेगी -

(a)	उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी	-	अध्यक्ष।
(b)	अपर पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	-	सदस्य।
(c)	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी	-	सदस्य।
(d)	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य।
(e)	सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	-	सदस्य, सचिव।

(iii) खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए संचालन कर्मचारी (दुकान प्रभारी/दुकान सहायक) आदि के चयन के लिए निम्नवत समिति गठित की जाती है -

(a)	उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी	-	अध्यक्ष।
(b)	अपर पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	-	सदस्य।
(c)	जिला रोजगार अधिकारी	-	सदस्य।
(d)	श्रम अधिकारी	-	सदस्य।
(e)	सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	-	सदस्य, सचिव।

उक्त सभी समितियाँ जिला के उपायुक्त के द्वारा गठित की जायेंगी।

सभी अंचलाधिकारी/थाना प्रभारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों के लिए स्थल प्राप्ति हेतु समिति का सहयोग करें। परन्तु बाद के वर्षों में दुकान के परिसर का चयन अथवा दुकानों को स्थानान्तरित करने के लिए परिसर का चयन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। खुदरा उत्पाद दुकानों के परिसर हेतु किराया के भुगतान की प्रक्रिया वही होगा जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाएगा।

जिला के उपायुक्त यदि आवश्यक समझें तो उत्पाद अनुज्ञप्ति अवधि के मध्य में भी वे खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या में परिवर्त्तन करने का प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद को भेज सकेंगे। जिला के उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा। जिला के उपायुक्त को विभाग की सहमति एवं असहमति संसूचित की जाएगी। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा।

राजस्व हित में तथा क्षेत्र में ग्राहको के माँग के अनुरूप नई दुकानें उपायुक्त से प्राप्त प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद की अनुमति के उपरान्त खोली जा सकेगी। दुकानों को बन्द करने का निर्णय उपायुक्त के द्वारा आयुक्त उत्पाद की सहमति प्राप्त कर की जाएगी।

26. **राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका**:-

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से राज्य सरकार को उत्पाद राजस्व की प्राप्ति होगी। मदिरा के किसी भी प्रकार के चौर्य व्यापार से राजस्व की क्षति होती है। अतः मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु सभी राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी है कि वे प्रवर्त्तन एवं अन्य निरीक्षण कार्यों में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

27. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की दुकान में मदिरा के क्रय एवं थोक विक्रेता को मूल्य भुगतान की प्रक्रिया**:-

(i) इन नियमों के अधीन JSBCL के दुकानों में मदिरा का क्रय थोक विक्रेता से किया जायेगा। मदिरा को क्रय करने के निमित्त विभाग के द्वारा निर्धारित डयूटी का भुगतान करते हुए जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के माध्यम से पारक प्राप्त किया जायेगा। थोक विक्रेता के द्वारा पारक के अधीन मदिरा का विक्रय JSBCL के खुदरा मदिरा दुकानों को किया जायेगा। JSBCL, जिला उत्पाद कार्यालय में मदिरा आपूर्त्ति हेतु पारक निर्गत करने की मांग नियम 22 के अनुरूप पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ii) थोक विक्रेता जिसके पास परिवहन पारक प्रस्तुत किया गया है, परिवहन पारक प्राप्त होने पर मदिरा आपूर्त्ति करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा और मांगी गई मदिरा की मात्रा का परेषन सुनिश्चित करेगा। यह कार्य संबंधित संचयनकर्त्ता के गोदाम (वेयरहाउस) प्रभारी के नियंत्रणाधीन संपादित किया जायेगा।

(iii) JSBCL के विभिन्न खुदरा उत्पाद दुकानों से मदिरा के क्रय के उपरान्त देय राशि का भुगतान थोक विक्रताओं को पाक्षिक अवधि में किया जायेगा।

28. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों द्वारा की गई अनियमितताओं के निष्पादन की प्रक्रिया**:- दुकानों का संचालन नियमानुसार नहीं किये जाने पर उस दुकान के कर्मचारियों, बहाल करने वाली प्लेसमेंट एजेन्सी/सुरक्षा एजेन्सी पर उचित कार्रवाई करने के लिए JSBCL स्वतंत्र होगा। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऐसे कर्मियों एवं एजेन्सियों को नियमानुसार दण्ड दिया जायेगा। JSBCL आमजनों से प्राप्त होने वाले शिकायतों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत विकसित करेगा।

29. **झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों में ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी**:-

(i) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

a) भारत निर्मित विदेशी शराब/आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) - 4.5 लीटर
(बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

b) देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब - 4.8 लीटर

नोट - बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

(ii) अस्थायी बार/होटल, रेस्तराँ व बार और क्लब की अनुज्ञप्ति लेनेवाले व्यक्ति जिला के दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय कर सकेंगे।

30. **भूतपूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर शेष स्टॉक का व्ययन**:- राजस्व पर्षद द्वारा नियम 117 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शेष स्कंध का निष्पादन किया जायेगा।

31. **आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना** - संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत JSBCL के खुदरा उत्पाद दुकानों में मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से संग्रहित करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine, Biometric Attendance System, Online Cash Collection Module, Online Grievance Redressal System एवं GPS based Vechile Tracking Device आवश्कतानुसार अधिष्ठापित किये जाने वाले अन्य IT System से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा।

32. **सामान्यः-**

(i) ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुए कार्टून, पेट/शीशे की बोतलों एवं उनपर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेवारी दुकान के अनुज्ञाधारी/विक्रेता की होगी।

(ii) अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग किया जायेगा।

(iii) खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में आवश्यकतानुसार संशोधन संबंधित प्रावधानों के तहत विभाग या, राजस्व पर्षद या, आयुक्त उत्पाद द्वारा किया जा सकेगा।

(iv) ''झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की विभिन्न प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022'' में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(v) इस नियमावली के तहत प्रदत्त सभी प्रकार के शराब की बिक्री के खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

33. **निरसन:-**

(i) सभी प्रकार की शराब की खुदरा बिक्री की दुकान से संबंधित सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त निरसित हो जायेंगी और सभी खुदरा शराब दुकानों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश/अनुदेश के अधीन की जायेगी।

(ii) इस नियमावली के पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश जारी कर सकेगें, परन्तु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा जो इस नियमावली के विपरीत हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 141 -- 50